28 वर्ष पुराने चार आर्म्स एक्ट मामलों में दोषियों को सजा

बलरामपुर। उत्तर प्रदेश पुलिस के ऑपरेशन कनविक्शन अभियान के तहत बलरामपुर पुलिस को आर्म्स एक्ट के चार पुराने मामलों में महत्वपूर्ण सफलता मिली है। न्यायालय ने वर्ष 1998 में थाना रेहरा बाजार में दर्ज अवैध तमंचा बरामदगी के तीन मामलों के साथ वर्ष 2006 में थाना ललिया में दर्ज अवैध चाकू बरामदगी के एक मामले में आरोपियों को दोषी ठहराते हुए जेल में बिताई गई अवधि की सजा के साथ अर्थदंड से दंडित किया है।

पुलिस के अनुसार रेहरा बाजार थाना क्षेत्र में 10 जनवरी 1998 को दर्ज तीन अलग-अलग मामलों में राम अवध, ओम प्रकाश और खेमराज को न्यायिक मजिस्ट्रेट सिद्धांत सोलंकी की अदालत ने दोषी करार देते हुए प्रत्येक पर एक-एक हजार रुपये का अर्थदंड लगाया। वहीं थाना ललिया में 10 अक्टूबर 2006 को अवैध चाकू बरामदगी के मामले में आरोपी ननकने बढ़ई को न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम बलरामपुर ने जेल में बिताई गई अवधि की सजा के साथ दो हजार रुपये अर्थदंड से दंडित किया।